न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 59/2019 (05/2015)

GCMS NO. : 2015/00138

–:: सायलान ::– **बनाम** **–:: गैरसायलान ::–**

सायलान:

1. नैनीदेवी पुत्री जालुजी पत्नि बंशीलाल के का.मु.
   1/1.कालूराम पुत्र बंशीलाल
   1/2.दुर्गाराम पुत्र बंशीलाल
   1/3.महेन्द्रकुमार पुत्र बंशीलाल
   1/4.श्रवणकुमार पुत्र बंशीलाल
   जाति ब्राह्मण निवासी उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।

गैरसायलान:

1. रघुनाथ पुत्र जालुजी
2. सत्यनारायण पुत्र जालुजी फौत के का.मु.
   2/1.पिस्ता पत्नी सत्यनारायण
   2/2.बुद्धादेवी पुत्री सत्यनारायण
   2/3.राकेश पुत्र सत्यनारायण
   2/4.प्रवीण पुत्र सत्यनारायण
   जाति ब्राह्मण निवासी सांडेराव तहसील सांडेराव जिला पाली।
3. फैफसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत
4. सुखीदेवी पत्नी देवाराम जाति माली
5. सुखीदेवी पत्नी मातीराम जाति माली निवासी राबडियावास तह0 जैतारण जिला पाली।
6. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 31/07/2023**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायला एवं गैरसाय[illegible]या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है एवं जालु जी की संताने है जो व[illegible]वृक्षावली से स्पष्ट है। जालु जी के पुत्र सोहनलाल ने प्रा.पत्र में वर्णित कृषि भूमि की बेचान कर [illegible]से उसे प्रा.पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

में पक्षकार नहीं बनाया है। सरहद मौजा बलाडा तहसील जैतारण मे गैरसायलान के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 1083 रकबा 39-18 बीघा में गैरसायल संख्या एक का 1/3 हिस्सा, गैरसायल संख्या तीन का 1/3 + 60/266 व गैरसायल संख्या पांच का 200/266 हिस्सा व ख0नं0 1086 रकबा 15-04 बीघा में गैरसायल संख्या एक का 1/3 हिस्सा, गैरसायल संख्या तीन का 1/3 हिस्सा, गैरसायल संख्या दो का 67/101 व गैरसायल संख्या चार का 34/101 हिस्सा है। जो गलत इन्द्राज है। प्रा.पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो सायला द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयां संवत् 2028 से 2031, 2032 से 2035, 2036 से 2039, 2041 से 2044, 2045 से 2048 से स्पष्ट है। पैतृक आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत कानूनी पुत्रीयां का भी हक व अधिकार है। सायला के पिता की मृत्यु होने पर उक्त कृषि भूमि में म्युटेशन संख्या 966 दिनांक 21/05/1992 को तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी ने स्वीकृत किया, जिसमें सायला के पिता जालु पुत्र रामा के वारिसान उनके पुत्रान का नाम गैरसायल संख्या एक व दो व सोहनलाल का नाम दर्ज कर दिया गया व उनकी पुत्री सायला का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही किया गया, म्युटेशन संख्या 966 जो स्वीकृत किया, जो गलत अवैध व गैरकानूनी है जो काबिल अपास्त के है तथा सायला के हितो के विरूद्ध बेअसर है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि मे सायला माफिक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करती है तथा सायला पैतृक आराजी में अपना नाम दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है सायला का उसके पिता की आराजी में नाम दर्ज नही होता है तो सायला अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत मे संभव नहीं होगी। सायला ने गैरसायल संख्या एक व दो तथा भाई सोहनलाल को उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने बाबत् दिनांक 02/12/2014 को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुए, इतना ही नही सायला को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा रघुनाथ की भूमि को भी बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी तब सायला ने यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि मे गैरसायल संख्या एक 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है परन्तु गैरसायल संख्या एक पिछले पचास वर्षो से भी अधिक समय से ग्राम बलाडा व अन्यत्र गांव, कस्बा, शहर मे जीवित होने/मृत्यु होने का समाचार नहीं सुना हैं। गैरसायल दो व उसके भाई सोहनलाल की नियत में खोट आई जो रघुनाथ को फौत बताकर उसकी जमीन को भी बेचान करने पर आमादा हुए जिसकी जानकारी होने पर सायला गांव बलाडा आई व रघुनाथ के 1/3हिस्से जिस पर सायला का कब्जा काश्त है बेचान हस्तान्तरण करने बाबत् मना किया तो गैरसायल संख्या दो व भाई सोहनलाल लडाई झगडा करने पर आमादा हुए व यह भी धमकी दी कि रघुनाथ के हिस्से की [illegible] अजनबी क्रेता को बेचान कर देंगे यदि गैरसायल संख्या दो व [illegible] सफल हो जाते है तो सायला को अपने अधिकारों से [illegible] यदि गैरसायल संख्या दो व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

सोहनलाल रघुनाथ के हिस्से की कृषि भूमि बाबत् विक्रय विलेख किसी अजनबी क्रेता के पक्ष मे गैरसायल संख्या छह के समक्ष पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे एवं न ही क्रेता के पक्ष में म्युटेशन पारित करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। जालु के पुत्र सत्यनारायण व सोहनलाल ने वाद मे वर्णित कृषि भूमि मे अपने-अपने हिस्से को गैरसायल संख्या दो व पांच को बेचान करने से उन्हे इस प्रार्थनापत्र मे पक्षकार बनाया है। तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेज एवं सायला का अपने हक-हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष मे प्रमाणित है यदि गैरसायलान द्वारा जोर जबरदस्ती राजस्व रेकर्ड मे गलत नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के किसी भू-भाग का बेचान हस्तान्तरण आदि कर देते है तो सायला अपने जायज हक व अधिकारों एवं खातेदारी काश्तकारी अधिकारों से महरुम हो जायेगी। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि सायला प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से में काश्त मुतालिक कुल कार्य खडाई बुवाई कटाई सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमें गैरसायलान दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे व गैरसायल संख्या दो तथा सोहनलाल प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि में रघुनाथ के हिस्से को उसे मृत बताकर/गायब होना बताकर किसी अजनबी क्रेता के पक्ष मे बेचान, हस्तान्तरण का दस्तावेज गैरसायल संख्या छह के समक्ष पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे न ही क्रेता के पक्ष मे म्युटेशन पारित करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें एवं वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखी जावें प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायला प्राप्त करने की अधिकारी हो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। बावजूद सम्मन सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से गैरसायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादी/सायला राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी/सायला की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** वाद-पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बलाडा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1083 रकबा 6.4588 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1086 रकबा 2.4605 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम को पैतृक पुश्तैनी [illegible] कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद बाबत् घोषणा एवं [illegible] धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

प्रार्थना की है। वादपत्र में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2028–2031, 2032–2035, 2036–2039, 2041–2044, 2045–2048 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1083, 1086 के तत्कालीन खातेदार जालू पुत्र रामा कौम ब्राह्मण थे। जमाबन्दी संवत् 2045–2048 में अंकित नोट नामान्तरकरण पंजिका में अंकित म्यूटेशन संख्या 966 दिनांक 18.05.1992 में अंकित फौतेदगी म्यूटेशन में जालू पुत्र रामा के स्थान पर इनके वारिसान सोहन लाल, रूघनाथ, सत्यनारायण, पि0 जालू सुन्दरी बेवा जालू कौम ब्राह्मण के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जमाबन्दी संवत् 2065–2068 के अनुसार जालू के वारिसान के रूप में सोहनलाल, रूघनाथ, सत्यनारायण पि0 जालू का नाम वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार के रूप में चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। जमाबन्दी संवत् 2065–2068 में अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 2180 दिनांक 09.09.2010 के द्वारा खसरा नम्बर 1083 में से खातेदार सोहनलाल पुत्र जालू द्वारा अपने 1/3 हिस्से में से क्रेता सुखीदेवी पत्नी मोतीराम कौम माली राबडियावास को 200/266 एवं सोहनलाल पुत्र जालू को 60/266 को बेचान कर दिया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 2684,2683 दिनांक 12.04.2013 के अनुसार खसरा नम्बर 1083,1086 में सोहनलाल पुत्र जालू के स्थान पर फेफसिंह पुत्र मांगूसिंह कौम राजपूत दर्ज किया गया। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक–अधिकार निहित होता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पिता के निर्वसीयत फौत होने पर उसके सभी वारिसानों का उसकी संपत्ति में हक–अधिकार निहित होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से निहित अपने हक–हिस्से पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीगण का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

3. अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का पूर्व में भी बेचान किया जा चुका है एवं आगे भी किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीगण को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णनानुसार अपने हक–अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बलाडा भू–अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1083 रकबा 6.4588 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1086 रकबा 2.4605 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनांक 31/07/2[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)